## खण्डपीठ कमांक-21

09-09-17

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीट के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी अरविन्द, सौरभ, गोलू एवं धर्म सहित

अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला उप०।

फरियादी रामौतार एवं आहत सोमाबाई उप0।

फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री

पी0एन0भटेले द्वारा की गयी है।

\Lambda प्रकरण आज राजीनामे की कार्यवाही हेत्

नियत है।

उभयपक्षों द्वारा द.प्र.स. की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा पेश किया गया है।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण पर भा०द०स० की धारा २९४, ३२३, ३२३ / ३४ एवं ५०६ भाग दो के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। फरियादी रामौतार एवं आहत सोमाबाई ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारां के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः श्वाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनमति प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी अरविन्द वाल्मीक एवं धरम् वाल्मीक, गोलू एवं सौरभ को भावद0स० की धारा 294, 323, 323 / 34 एवं 506 भाग दो आरोप से दोषम्क्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण मे जप्तशुदा बांस के डण्डे मूल्यहीन होने तोडतोडकर नष्ट किए जीवे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को

अभिलेखागार भेजा जावे खण्डपीट सदस्य. क.14

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीटासीन अधिकारी खण्डपीठ क0 21 गोहद

जिला भिण्ड म०प्र0

ATTRICAL SHEETER STATE OF STAT

ATTACH PARTY PARTY